FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District**: STATE VIG. BUREAU **PS**: SVB ROHTAK **Year**: 2013 **FIR No**: 36 **Date**: 12-11-13

2. **Act(s)**: **Secti on(s)**

(i) IPC 420/467/468/471/120-B,IPC,

(ii)

(iii)

(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day**: Wednesday **Date From**: 12-11-2013 **Date To:** : 12-11-2013

Time Period: **Time From:** **Time To**:

(b) **Information received at P.S: Date:** : 12-11-2013 **Time**: 12-15 P.M.

(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 13 **Time:** 12-15 P.M

4. **Type of Information: WRITTEN**

5. **Place of Occurrence:**

(a) Direction and Distance from P.S.: **Beat No**.:

(b) Address : SVB, Rohtak

(c) In case, Outside the limit of the Police Station:

Name of P.S: SVB ROHTAK **District: Rohtak**

(a) **Complainant/Informant**: SI Savitri Devi

(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN

(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**

(d) **Occupation:**

(e) **Address:** S.V.B Rohtak

7. **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

(1) Sanjay s/o Rampal(2) Rakesh s/o Abhey Ram caste Ahir R/o Mandola Distt. Rewari(3)Sunita D/o Zile Singh caste chhimpa, House No. 2905 Urben Estate Jind (4)Dr. Dharam Pal Kharab, Kharab Hospital,Jind

8. **Reason for delay in reporting by the complainant/informant:**

9. **Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):**

SI.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
(i)			

(ii)
(iii)
10. Total value of property stolen:
11. Inquest Report/U.D Case No., if any
12. F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):

सेवा में प्रबन्धक थाना,राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा,रोहतक मण्डल, रोहतक।श्री मान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 2 दिनांक 18–5–11 रोहतक हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 49/13/2011–5 चौकसी–II दिनांक 16–5–11 की अनुपालना में आसूचना रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर की गई थी, जिसमें आरोप था कि स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा में एडवरटाईज न0 9/2007, कैटेगरी न0 1 के अर्न्तगत 61 परिवार कल्याण विस्तार ि ाक्षकों की वर्श 2008 में नियुक्ति की गई थी। जिसमें संजय पुत्र रामपाल, रोल न0 223, अजीत सिह पुत्र उमेद सिह वासी गाव भाली आनन्दपुर, जयबीर पुत्र कर्ण सिह वासी गौरया जिला झज्जर, सती ा पुत्र सुबे सिह अहीर वासी गांव जैनाबाद जिला रेवाडी, रविन्द्र सिह पुत्र ई वर सिह जाट वासी गांव किडौली, नरे ा पुत्र सुरजीत सिह जाति अहीर वासी जाहिदपुर जिला रेवाडी, राके ा पुत्र अभे राम जाति अहीर वासी मन्दौला जिला रेवाडी, सुनिता पुत्री जिले सिह कौम दर्जी वासी म0न0 2905 अर्बन स्टेट जीन्द, भाारदा पत्नि सुबे सिंह कौम अहीर वासी म0न0 14/257 करिअप्पा बिहार, दिल्ली कैन्ट, श्रीमति हेमलता पत्नि श्री कुलदीप सिंह कौम जाट वासी सिलाना जिला झज्जर के अनुभव प्रमाण पत्र जाली होने के बावजूद भी उनमे से कुछ की नियुक्तियां की गई। आरोप की जांच से पाया गया है कि संजय पुत्र रामपाल रोल न0 223 का चयन क्रमांक 76 पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा खण्ड विस्तार ि ाक्षक के पद के रूप मे किया गया था। संजय द्वारा मानव सेवा संघ केन्द्रीय कार्यालय वृन्दावन भााखा सभा धमार्थ आरोग्य सदन हस्पताल रोहतक के 2 अलग–अलग प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये थे। जांच से पाया गया कि संजय द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुभव प्रमाण पत्र जिसे " ए " मार्क किया गया है, जिस पर कोई तारीख अंकित नही है, सही पाया गया, जिसे संस्था संचालक श्री गोबिन्द राम ने अपनी संस्था द्वारा अपने हस्ताक्षरों से जारी किया जाना बतलाया है। अतः यह प्रमाण पत्र सही पाया गया है। जिसके आधार पर सजय का चयन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा खण्ड विस्तार ि ाक्षक के पद के रूप मे किया गया था । संजय द्वारा एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया जो मानव सेवा संघ केन्द्रीय कार्यालय वृन्दावन भााखा सभा धमार्थ आरोग्य सदन हस्पताल रोहतक का अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 5–8–07 जिसमें दिनांक 1–2–04 से 5–2–06 तक परिवार कल्याण कैम्प आयोजित करने एवं 2400 रूपये प्रति माह वेतन अंकित है। यह प्रमाण पत्र जिसे मार्क " बी " किया गया है। श्री गोबिन्द राम ने इस अनुभव प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षरो से इन्कार किया है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र जाली पाया गया है। संजय द्वारा मानव सेवा संघ के लैटर पैड पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तैयार करने और गोबिन्द राम के हस्ताक्षर करने के लिये धोखाधडी से चयन मे प्रयोग किये जाने पाये गये। इसी प्रकार के लिये उसके विरूद्व धारा 420/467/ 468/471 भा0द0स0 के अर्न्तगत मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया गया। जांच से पाया गया है कि श्रीमति सुनिता पुत्री जिले सिह ने अपना आवेदन पत्र खण्ड विस्तार ि ाक्षक के पद के लिये दाखिल किया था, जिसके साथ श्रीमति सुनिता ने खरब

हस्पताल जीन्द द्वारा दिनांक 20—8—07 द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था। इस अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार श्रीमति सुनिता द्वारा खरब हस्पताल जीन्द मे दिनाक 10—2—02 से 25—5—07 तक परिवार कल्याण के प्रोग्राम आयोजित करने व 1200 रूपये प्रति माह वेतन प्राप्त करने का विवरण अंकित किया है। लेकिन जाच के दौरान डा0 धर्मपाल खरब ने अपने कथन सुनिता देवी द्वारा कोई काम नही किया जाना बतलाया और अनुभव प्रमाण पत्र पर उसके जो हस्ताक्षर है, वह रूटिन में उससे करवाये जाने बतलाये। इससे स्पश्ट है कि श्रीमति सुनिता द्वारा खरब हस्पताल जीन्द मे डा0 धर्मपाल खरब के पास कभी भी कार्य नही किया है, लेकिन इस अनुभव प्रमाण पत्र को डा0धर्मपाल खरब ने माना है कि उसके इस पर हस्ताक्षर है, इस कारण डा0 धर्मपाल खरब यह कह कर कि उसके हस्ताक्षर रूटिन मे करवाये गये है, अपनी जिम्मेदारी से बच नही सकता। जांच से स्पश्ट है कि यह अनुभव प्रमाण पत्र डा0 धर्मपाल खरब द्वारा दिया गया है, लेकिन जांच के डर के कारण उन्होने यह कहा है कि दस्तखत रूटिन मे करवाये है। क्योंकि उसके पास श्रीमति सुनिता के कार्य से सम्बन्धित कोई रिकार्ड नही था, इससे स्पश्ट है कि सुनिता द्वारा डा0 धर्मपाल खरब से मिली भगत करके फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तैयार करके भर्ती मे प्रयोग करके जुर्म जेरधारा 420/467/468/471/120—बी, भा0द0स0 का करने पर इन दोनो के विरूद्व उक्त धाराओ के अर्न्तगत मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया गया। जांच से पाया गया है कि राके ा पुत्र अभे राम वासी मण्दौला जिला रेवाडी रोल न0 532 ने अपना आवेदन पत्र खण्ड विस्तार ि ाक्षक के पद के लिये दाखिल किया था और इसने अपने आवेदन पत्र के साथ डा0 दीन दयाल हस्पताल कुण्ड जिला रेवाडी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था। डा0 अरविन्द यादव ने जांच के दौरान ब्यान किया है कि यह अनुभव प्रमाण पत्र उस द्वारा जारी नही किया गया और ना ही इस अनुभव प्रमाण पत्र पर उसके हस्ताक्षर है। राके ा द्वारा डा0 दीन दयाल के पास कभी भी कोई कार्य नही किया और उसने डा0 दीन दयाल के लैटर पैड पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र तैयार करके डा0 अरविन्द यादव के हस्ताक्षर करके हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग मे प्रयोग करके जुर्म जेरधारा 420/467/468/471/120—बी, भा0द0स0 का करने परः उपरोक्त के विरूद्व उपरोक्त धाराओं के अर्न्तगत मुकदमा दर्ज करने का सुझाव देकर निश्कर्श रिपोर्ट सरकार को भेजी गई थी। जिस पर अब सरकार ने अपने पत्र पृश्ठ क्रमांक 65/24/2011—5 चौकस—I, दिनांक 3—10—13 अनुसार जांच रिपोर्ट मे दिये गये सुझाव अनुसार संजय व राके ा के विरूद्व धारा 420/467/468/471 भा0द0स0 तथा श्रीमति सुनीता पुत्री जिले सिह व डा0 धर्मपाल खराब, खरब हस्पताल जीन्द के विरूद्व धारा 420/467/468/471 व 120—बी, भा0द0स0 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदे ा प्राप्त हुये है। अतः तहरीर सेवा मे भेज कर अनुरोध है कि उपरोक्त के विरूद्व सरकार के आदे ाानुसार मुकदमा दर्ज करके मुकदमा में अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करवाकर मि ाल मुकदमा व सम्बन्धित रिकार्ड हवाले अनुसंधान अधिकारी किया जावे। हस्ता अंग्रेजी सावित्री देवी म0/उ0नि0रा0चौ0ब्यू0रोहतक, अज थानाः—आमदा तहरीर पर मुकदमा बाजुर्म दर्ज रजिस्टर करके नकल

एफ0आई0आर0 तैयार की गई जो अफसरान बाला की सेवा मे भिजवाई जावेगी। एफ0आई0आर0 की नकल प्रति ईलाका मजिस्ट्रेट साहब रोहतक बजरिया डाक भेजी जावेगी। नकल मि ाल पुलिस मय असल तहरीर हवाले अफसरान बाला आदे ा अनुसार उ0नि0 कर्मबीर की जावेगी।

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s)u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation OR
(ii) Directed(Name of the I.O) Karambir
Rank: Sub Insp.
No.: 428/RTK to take up the investigation,OR
(iii) Refused investigation due to:
OR
(iv) Transferred to P.S.(name):
On point of jurisdiction: District:

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:
R.O.A.C.:
14.
Signature/Thumb Impression
Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name Ram Bhaj
Rank: Inspector No. 179/RR

15 Date and Time of despatch to the court: बजरिया डाक